संख्या– /XVI-1/16/7(12)/14

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–400/XXVII (1)/2015 दिनांक–1 अप्रैल, 2015, एवं 645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून 2015, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–49/XXVII(1)/2016 दिनांक 25 जनवरी 2016 एवं आपके पत्र संख्या 701/एक–1(1)2015–16 दिनांक 16 जनवरी 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उद्यान विभाग की अनुदान संख्या–29 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु 42–अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नसारणीनुसार कुल रू12,73,750.00(रू बारह लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि संलग्न **कम्प्यूटर आई0डी0 अनुसार** आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कमांक	योजना का नाम/मद का नाम	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधान	वर्तमान तक पूर्व में अवमुक्त 25 प्रतिशत एवं 37.50 प्रतिशत धनराशि	अवशेष एवं अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
				धनराशि हजार में
	अनुदान सख्या–29(आयोजनेत्तर)			
1	0301 अधिष्ठान (42 अन्य व्यय)	800	400	200
2	0302 राजभवनों के उद्यानों का अनुरक्षण(भारित) (42 अन्य व्यय)	2100	1050	1050
3	0304 सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण (42 अन्य व्यय)	25	12.5	6.25
4	0305 मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण (42 अन्य व्यय)	50	25	12.50
5	0306 विधान भवन परिसर में औद्यानिक विकास (42 अन्य व्यय)	20	10	5
	Total	**2995**	**1497.5**	**1273.75**

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–400/XXVII (1)/2015,दिनांक–1 अप्रैल, 2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

क्रमशः——2

(8) व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

(9) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) लघु निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व आगणनों का शासन/टी0ए0सी0 से परीक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाय, तदोपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाय।

(11) विभागाध्यक्ष स्तर से आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(13) भारत सरकार की योजनाओं के सापेक्ष अवमुक्त/व्यय की जाने वाली राज्यांश धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के उपरांत ही राज्यांश धनराशि अवमुक्त की जायेगी। केन्द्रांश प्राप्त न होने की दशा में राज्यांश कदापि व्यय न किया जाय। जिन केन्द्रीय योजनाओं को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय अनुमोदन के उपरांत ही व्यय किया जाय। केन्द्रीय योजनाओं में भारत सरकार के अनुमोदित वित्तीय अनुपात के अनुसार ही केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि व्यय की जाय।

(14) राज्य सरकार द्वारा जो नयी योजनायें स्वीकृत की गयी है उन योजनाओं में अवमुक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा योजनाओं के मानक स्वीकृत होने के उपरांत एवं मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। मानक निर्धारित न होने की दशा में किसी भी प्रकार का कोई व्यय किसी भी मद में नहीं किया जाय। अनुमोदित मानकों में परिवर्तन का अधिकार विभाग को नहीं होगा। मानकों के अनुसार योजनाओं का कियान्वयन न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(15) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत सम्बन्धित योजनाओं के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

(16) यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0 संख्या 195(P)/XXVI-4/16 दिनांक 28 मार्च 2016 में प्राप्त वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 344 /XVI-1/16/7(12)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।